


राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर)
कमांक : एफ.18(आई-51)निजभूस/आईडब्ल्यूएमपी/2010-11/1057-1325-दिनांक : 22-12-11

संशोधित राशि हस्तान्तरण आदेश

विभागीय आदेश कमांक एफ.18(आई-51)निजभूस/आईडब्ल्यूएमपी/2010-11/5996-6289 दिनांक 05.12.2011 के द्वारा वर्ष 2010-11 में आई.डब्ल्यू.एम.पी. अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की लागत के 14 प्रतिशत प्राप्त केन्द्रीयांश एस.एल.एन.ए. के खाते से वाटरशैड सेल कम डाटा सेन्टर के खाते में राशि हस्तान्तरण की स्वीकृति जारी की गई थी।


उक्त आदेश में उल्लेखित जिलावार राशि हस्तान्तरण सूची के कॉलम संख्या 7 (Amount to be retained at SLNA level(0.4% of total project cost) में उल्लेखित कुल राशि 628.66662 लाख के स्थान पर 628.66661 लाख एवं कॉलम संख्या 11 (Total) में उल्लेखित कुल राशि 21376.90492 लाख के स्थान पर 21376.90493 लाख पढ़ा जावे।


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(एस.एल.एन.ए.) एवं निदेशक

कमांक : एफ.18(आई-22)निजभूस/आईडब्ल्यूएमपी/2009-10/1057-1325-दिनांक : 22-12-11

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज एवं अध्यक्ष, एस.एल.एन.ए., राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर, (श्रीगंगानगर जिले को छोड़कर)
6. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार सम्बन्धित वाटरशैड सेल कम डाटा सेन्टरको अविलम्ब राशि हस्तान्तरण करे।
7. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (श्रीगंगानगर जिले को छोड़कर)
8. संयुक्त निदेशक (एमआईईएस/प्रशासन) निदेशालय, जयपुर।
9. उप निदेशक (IWMP-I/II/III/IV/V/VI/VII/ग्रामीण विकास), निदेशालय, जयपुर।
10. समस्त लेखाधिकारी, जिला परिषद (श्रीगंगानगर जिले को छोड़कर)
11. समस्त परियोजना प्रबन्धक एवं अधिशाषी अभियन्ता (भू संसाधन), वाटरशैड कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद (श्रीगंगानगर जिले को छोड़कर)
12. आहरण एवं वितरण अधिकारी, एस.एल.एन.ए., निदेशालय, जयपुर।
13. ए.सी.पी., निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश वेब साईट पर तुरन्त अपलोड करावे।
14. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं पी.आई.ए., पंचायत समिति


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(एस.एल.एन.ए.) एवं निदेशक